55/21

A2/1

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 55/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. दलवीर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर। 2. त्रिलोक सिंह पुत्र दलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. हर्षदीप सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर।

तारीख रजू:- 05.07.2021

उपस्थितः 1.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- **दिनांक : 10.06.2022**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 27 एच ए की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 76 के खाता संख्या 27/25 के मुरब्बा नम्बर 7 की 0.469 हेक्टैयर, मुरब्बा नम्बर 12 की 5.416 हेक्टैयर, मुरब्बा नम्बर 41/1 की 0.076 हेक्टैयर कुल 5.961 हेक्टैयर नहरी भूमि में से वादी 4.190 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 2 त्रिलोक सिंह 0.506 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 3 हर्षदीप सिंह 1.265 हेक्टैयर नहरी भूमि के खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। दिनांक 27.01.2004 को वादी व गांव 27 एच ए के ग्रामवासियों द्वारा तहसीलदार श्रीकरणपुर के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि चक 27 एच ए के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11,20,21 में मंजूरशुदा 2/2 बिस्वा रास्ता को निरस्त किया जाकर मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 23,24,16 व मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 2,3,9,10,11 में रास्ता मंजूर किया जावें, क्योंकि सुविधा के लिए नए रास्ता की ईलाकावासियों को अत्यधिक आवश्यकता है। उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के समक्ष पेश हुआ। जिस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय ने वादी व ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर दिनांक 30.01.2004 को आदेश पारित किया कि चक 27 एच ए के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11, 20, 21 में पूर्व से मंजूर शुदा रास्ता को कैंसिल किया जाकर इसी चक के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 2 का 0.025 हेक्टैयर, 3 का 0.019 हेक्टेयर, 9 का 0.025 हेक्टैयर, 10 का 0.025 हेक्टैयर, 11 का 0. 006 हेक्टैयर, तथा मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 16 के 0.025 हेक्टैयर, 23 का 0.012 हेक्टैयर, 24 का 0.025 हेक्टैयर, कुल 0.162 हेक्टैयर रकबा नहरी भूमि में से रास्ता प्रभावित काश्तकार दलवीर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह की सहमति के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। तथा पूर्व में स्वीकृत रास्ता मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11,20,21 में से चल रहे रास्ता को निरस्त किया जाता है। निरस्त रास्ता का रकबा प्रार्थी के खाते में दर्ज किया जावें। उक्त आदेश दिनांक 30.01.2004 तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी किया गया। उक्त आदेश दिनांक 30.01.2004 की पालना में मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11,20,21 में मंजूरशुदा 2-2 बिस्वा रास्ता कुल 0.076 हेक्टैयर रास्ता कैंसिल किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुरब्बा नम्बर 41/1 के 0.076 हेक्टैयर नहरी रकबा का खातेदारी इन्तकाल संख्या 168 वादी के हक में दर्ज किया गया। उक्त 0.076 हेक्टैयर रकबा मुरब्बा नम्बर 41/1 का होना जमाबन्दी में दर्ज किया गया। जबकि नियमानुसार जिन किलाजात में रास्ता कैंसिल किया गया है। वह कैंसिल शुदा रकबा उन्ही किलाजात में दर्ज किया जाना चाहिए था। यानि मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11,20,21 में से 2-2 बिस्वा रास्ता मंजूर था और आदेशानुसार इस रास्ता को कैंसिल किया है। जिस कारण 2-2 बिस्वा रकबा प्रत्येक किला नम्बर 11,20,21 में जोडा जाना न्यायहित में अति आवश्यक था। परन्तु एक स्वभाविक त्रुटि के कारण ऐसा नहीं हो पाया। उक्त स्वभाविक त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। आज से करीब 10 रोज पूर्व वादी तहसीलदार श्रीकरणपुर से मिला और उनसे रकबा दुरूस्त करने हेतु कहा तो तहसीलदार श्रीकरणपुर ने श्रीमान् जी के समक्ष चाराजोही करने को कहा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि चक 27 एच ए की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 27/25 के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11 के 0.220 हेक्टैयर, किला नम्बर 20 के 0.228 हेक्टैयर, तथा किला नम्बर 21 के 0.228 हेक्टैयर के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11 के 0.247 हेक्टैयर नहरी, किला नम्बर 20 के 0.253 हेक्टैयर नहरी, तथा किला नम्बर 21 के 0.253 हेक्टैयर नहरी रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 न्यायालय में स्वंय उपस्थित आए व जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 371 दिनांक 15.02.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 27 एच ए की जमाबन्दी के अनुसार मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11/0.222, 20/0.228, 21/0.228 हेक्टैयर भूमि व खसरा संख्या 41/1 में 0.076 हेक्टैयर भूमि दर्ज है। खसरा संख्या 41/1 में 0.076 हेक्टैयर भूमि जरिए इन्तकाल 168 जो कि श्रीमान जी के आदेश की पालना में दर्ज हुआ था। जिसमें गैरमुमकिन रास्ता को निरस्त करते हुए दलवीर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के नाम से दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था। परन्तु इन्तकाल दर्ज करते समय भूमि सम्बन्धित किला नम्बर में नहीं बढाई जाकर अलग से खसरा संख्या 41/1 में 0.076 हेक्टैयर नहरी दर्ज कर दी गई। अतः श्रीमान् जी के आदेश दिनांक 30.01.2004 तथा इन्तकाल संख्या 168 के सन्दर्भ में मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11/0.222, 20/0.228, 21/0.228 के स्थान पर 11/0.247, 20/0.253, 21/0.253 हेक्टैयर भूमि दर्ज किया जाना उचित है। व खसरा संख्या 41/1 में 0.076 है. रकबा को हटाया जाना उचित है। साक्ष्यवादी में वादी दलवीर सिंह के द्वारा शपथ पत्र पेश किया व दस्तावेजात प्रदर्श करवाए।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 27 एच ए की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 27/25 की प्रति, चक 27 एच ए की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 68 के खाता संख्या 25 की प्रति, चक 27 एच ए के इन्तकाल संख्या 168 दिनांक 17.03.2004 की प्रति, श्रीमान उपजिलाकलक्टर श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 30.01.2004 की प्रमाणित प्रति, आदेश कार्यालय तहसीलदार श्रीकरणपुर की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

A2/3

प्रमाणित प्रति, प्रार्थना पत्र प्रार्थी की प्रमाणित प्रति, रिपोर्ट पटवारी की प्रमाणित प्रति, हलफनामा की प्रमाणित प्रति, श्रीमान उप जिलाकलक्टर श्रीकरणपुर के आदेश दिनांक 30.01.2004 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा चक 27 एच ए की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 27/25 के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11 के 0.220 हेक्टैयर, किला नम्बर 20 के 0.228 हेक्टैयर, तथा किला नम्बर 21 के 0.228 हेक्टैयर के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11 के 0.247 हेक्टैयर नहरी, किला नम्बर 20 के 0.253 हेक्टैयर नहरी, तथा किला नम्बर 21 के 0.253 हेक्टैयर नहरी रकबा दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीदार श्रीकरणपुर के अनुसार श्रीमान् जी के आदेश दिनांक 30.01.2004 तथा इन्तकाल संख्या 168 के सन्दर्भ में मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11/0.222, 20/0.228, 21/0.228 के स्थान पर 11/0.247, 20/0.253, 21/0.253 हेक्टैयर भूमि दर्ज किया जाना उचित है। व खसरा संख्या 41/1 में 0.076 है. रकबा को हटाया जाना उचित है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने जवाबदावा में जाहिर किया है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, जवाबदावा प्रतिवादीगण, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र वादी के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 27 एच ए, पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र लखिया की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 76 के खाता संख्या 27/25 के मुरब्बा नम्बर 41/1 की 0.076 हेक्टैयर नहरी भूमि को हटाया जाकर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11 के 0.222 हेक्टैयर, किला नम्बर 20 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 21 के 0.228 हेक्टैयर नहरी रकबा के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11 के 0.247 हेक्टैयर, किला नम्बर 20 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 21 के 0.253 हेक्टैयर नहरी भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बादं तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 10.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर ए एस)

दलवीर सिंह आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एल आर एक्ट मुकदमा नं. 88/2022
निर्णय दिनांक :- 10.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 27 एच ए, पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र लखिया की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 76 के खाता संख्या 27/25 के मुरब्बा नम्बर 41/1 की 0.076 हेक्टैयर नहरी भूमि को हटाया जाकर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11 के 0.222 हेक्टैयर, किला नम्बर 20 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 21 के 0.228 हेक्टैयर नहरी रकबा के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11 के 0.247 हेक्टैयर, किला नम्बर 20 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 21 के 0.253 हेक्टैयर नहरी भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 10.06.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपयॉ	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/ 2022/330 दिनांकः 10.06.2022

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर